

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर-235103003312014

व्यवहार वाद कं.-142ए/16

संस्थापित दिनांक-04.09.13

1-रतीभान सिंह पुत्र कल्याण सिंह यादव, आयु-70 साल, व्यवसाय-खेती, निवासी-ग्राम अमरोद तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)।
2-रंजीत सिंह ना.वा.पुत्र संतोक सिंह यादव, आयु-15 साल, ना.वा.संरक्षक ताउ रतीभान सिंह यादव।
3-शुभम ना.वा.पुत्र संतोक सिंह यादव, आयु-13 साल, ना.वा.सरपरस्त ताउ रतीभान सिंह यादव।
4-अनिकेश ना.वा.पुत्र संतोक सिंह यादव, आयु-10 साल, ना.वा.संरक्षक ताउ रतीभान सिंह यादव।
5-गोलू ना.वा. पुत्र संतोक सिंह यादव, आयु-08 साल, ना.वा. संरक्षक ताउ रतीभान सिंह यादव।
6-श्रीमति रंजना पुत्री संतोक सिंह पत्नि माखन सिंह यादव, आयु-21 साल, निवासीगण-ग्राम अमरोद, हाल निवासी-ग्राम पाडरी सेहराई, तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)।
7-श्रीमति दुर्गेश पुत्री संतोक सिंह यादव पत्नि भरत सिंह, आयु-19 साल, निवासी-ग्राम अमरोद, हाल निवासी-ग्राम छपरा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)।

.....वादीगण

विरुद्ध

1-नीलम सिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण यादव, आयु-55 साल।
2-बहम्मानन्द पुत्र उदयभानप सिंह यादव, आयु-31 साल।
3-लाखन सिंह पुत्र हनुमंत सिंह यादव, आयु-60 साल।
4-महेन्द्र सिंह पुत्र हनुमंत सिंह यादव, आयु-75 साल।
5-संजीव कुमार पुत्र गजराज सिंह यादव, आयु-24 साल।
6-उदयभान सिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण यादव, आयु-40 साल।
7-अजय कुमार पुत्र संतोक सिंह यादव, आयु-30 साल, व्यवसाय-खेती, निवासीगण-ग्राम अमरोद तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)।
8-शासन द्वारा पटवारी ग्राम अमरोद तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)।

.....प्रतिवादीगण

9-म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर, मण्डल जिला अशोकनगर।

.....फौर्मल प्रतिवादी

वादी द्वारा श्री सतीश श्रीवास्तव अधिवक्ता।
 वादीगण क्रमांक 2 लगायत 7 विलोपित।
 प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 6 द्वारा श्री पठान अधिवक्ता।
 प्रतिवादी क्रमांक 7 व 8 द्वारा श्री चौबे अधिवक्ता।

— / / निर्णय / / —

(आज दिनांक 19.01.2017 को घोषित)

01. वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम अमरौद तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 282 रकवा 0.491 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 287/1/2 रकवा 1.170 हेक्टेयर (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) पर स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमि है तथा वादी क्रमांक 1 के पिता के स्वामित्व की भूमि है जो वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 7 के स्वामित्व, स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है। वादीगण के अनुसार कल्याण सिंह की मृत्यु हो चुकी है तथा कल्याण सिंह की मृत्यु के बाद वादी क्रमांक 1 व वादी के भाई संतोक सिंह भूमि का स्वामी हुआ तथा संतोक सिंह के बाद भूमि पर राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवाद क्रमांक 2 लगायत 7 का नामांतरण राजस्व रिकार्ड में हो गया था। वादीगण के अनुसार वादी क्रमांक 1 के पिता कल्याण सिंह व हनुमंत सिंह के बीच प्रकरण चला था जिसमें राजीनामा हो गया था और राजीनामा के आधार पर कल्याण सिंह के स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 282 रकवा 0.491 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 287 में से रकवा 0.304 हेक्टेयर हनुमंत सिंह के स्वामित्व में आई थी। वादीगण के अनुसार उनकी जानकारी के बिना राजस्व रिकार्ड में से वादीगण के पिता का नाम कटवाकर अपना नाम करा लिया गया है। वादीगण के अनुसार ऐसी स्थिति सर्वे क्रमांक 287/1/2 की भी है तथा उपरोक्त विवादित भूमियों से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है तथा उस पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। वादीगण के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 7 को नाबालिग की भूमि को विक्रय करने का अधिकार नहीं था तथा नाबालिग की भूमि को विक्रय करने से पूर्व क्रेता द्वारा अनुमति नहीं ली गई। वादीगण के अनुसार अवैध विक्रय पत्रों से प्रतिवादीगण को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता तथा उनके अनुसार प्रतिवादीगण ने अवैध रूप से विवादित भूमियों पर अपना नामांतरण करा लिया है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादीगण ने अपने वादपत्र के माध्यम से इस आशय की डिक्री चाही है कि उन्हें उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी घोषित किया जावे और प्रतिवादीगण के नामांतरण को शून्य घोषित करते हुए प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे और साथ ही यह भी घोषित किया जावे कि विक्रय पत्र दिनांक 24.06.10 शून्य है।

04. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी क्रमांक 2 लगायत 5 अव्यस्क हैं, जिनका प्राकृतिक संरक्षक प्रतिवादी क्रमांक 7 है तथा वादी क्रमांक 1 उनका संरक्षक नहीं है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी ने वादी क्रमांक 2 लगायत 5 का संरक्षक नियुक्त नहीं किया है और इस प्रकार उनका दावा निरस्त करने

योग्य है। प्रतिवादीगण के अनुसार उनके द्वारा भूमि कय की गई है तथा वादी क्रमांक 1 ने गलत बंटवारा करा लिया है एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का नाम बिना किसी अधिकार के विलोपित करा दिया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वे उक्त विवादित भूमि के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद को अस्वीकार कर निरस्त करने का निवेदन किया है।

05. वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :—

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादीगण द्वारा ग्राम अमरोद तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र. स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 282 रकवा 0.491 हे0 के स्वत्वाधिकारी हैं ?	“नहीं”
02.	क्या वादीगण वादप्रश्न क्रमांक 1 में वर्णित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के पक्ष में किये गए नामांतरण को शून्य घोषित कराकर अपना नामांतरण कराने का अधिकारी है ?	“नहीं”
03.	क्या वादी क्रमांक 2 लगायत 7 ग्राम अमरोद तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 287/1/2 रकवा 1.170 हे0 के स्वत्वाधिकारी हैं ?	“नहीं”
04.	क्या विक्रय पत्र दिनांक 24.06.2010 वादी क्रमांक 2 लगायत 7 के संबंध में शून्य है ?	“नहीं”
05.	क्या वादी क्रमांक 2 लगायत 7 वादप्रश्न क्रमांक 3 में वर्णित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कराए गए बटांकन को शून्य घोषित कराने के अधिकारी हैं ?	“नहीं”
06.	क्या वादी क्रमांक 2 लगायत 7 प्रतिवादी क्रमांक 1 के प्रस्ताव क्रमांक 2 दिनांक 15.08.2010 को शून्य घोषित कराने के अधिकारी हैं ?	“नहीं”
07.	क्या वादीगण वादप्रश्न क्रमांक 1 एवं वादप्रश्न क्रमांक 3 में वर्णित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?	“नहीं”
08.	क्या वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सही मूल्यांकन कर उचित न्याय शुल्क अदा किया गया है ?	“हां”
09.	सहायता एवं व्यय ?	“निर्णयानुसार वादी का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया गया।”

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06. वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 रतिभान सिंह, वा.सा. 02 शीलकुमार की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और साथ ही खसरा प्रपी 01, खतौनी प्रपी

02 लगायत प्रपी 04, डिक्री प्रपी 05, राजीनामा प्रपी 06, प्रपी 07, खसरा प्रपी 08 लगायत प्रपी 10 प्रस्तुत किए गए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 नीलम सिंह, प्र.सा 02 विजेन्द्र सिंह, प्र.सा. 03 गजराज सिंह की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है और साथ ही प्रडी 01 लगायत प्रडी 19 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं।

07. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 07 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 08 एवं 09 का निराकरण पृथक-पृथक किया जा रहा है।

—:: वादप्रश्न क्रं. 01 लगायात 07 ::—

08. वा.सा. 01 रतिभान सिंह ने अपने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि उक्त विवादित भूमि के 1/2 भाग पर उसका कब्जा है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि उसके पिता कल्याण सिंह की रही है तथा प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी सूचना के उक्त विवादित भूमि पर अपना नाम दर्ज करा लिया है और उसे विवादित भूमि से बेदखल करने की भी धमकी देते रहते हैं। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि उसने सिर्फ एक नंबर का दावा किया है तथा उक्त साक्षी के अनुसार प्रतिवादी ने कोई रजिस्ट्री नहीं कराई तथा डिक्री होने के बाद उसने या उसके पिता ने नामांतरण की कार्यवाही नहीं की थी। वा.सा. 02 शीलकुमार के अनुसार व वादी एवं प्रतिवादीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने विवादित भूमि देखी है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने विवादित भूमि के कोई कागज नहीं देखे। उक्त साक्षी के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का क्या विवाद है उसे नहीं मालूम।

09. प्रतिवादीगण की ओर से जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसमें प्र.सा. 01 के अनुसार उसने सर्वे क्रमांक 287/1/2 में से 2 वीघा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी तथा महेंद्र सिंह ने अपनी भूमि में से 2 वीघा भूमि विजेन्द्र सिंह को विक्रय कर दी थी। उक्त साक्षी के अनुसार सर्वे क्रमांक 282 का 2 वीघा उसके पास पैतृक है। उक्त साक्षी के अनुसार सर्वे क्रमांक 287 की भूमि उनके पास पहले से ही है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने गलत भूमि बेची है और इस बात से इंकार किया है कि उसने पटवारी से मिलकर सर्वे क्रमांक 282 का गलत नामांतरण करवा लिया है। इसी प्रकार प्र.सा. 02 विजेन्द्र एवं प्र.सा. 03 गजराज सिंह ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में प्र.सा. 01 के अनुसार बातें बताई हैं। उपरोक्त साक्षीगण में से प्र.सा. 02 ने इस बात को स्वीकार किया है कि किस सर्वे नंबर का विवाद चल रहा है उसे जानकारी नहीं है तथा सर्वे क्रमांक 282 पर कौन खेती कर रहा है इसकी जानकारी भी उसे नहीं है। प्र.सा. 03 ने अपने कथन में बताया है कि सर्वे क्रमांक 282 में से 16 विसवा जमीन उसने खरीदी है। उक्त साक्षी के अनुसार सर्वे क्रमांक 282 पर लाखन सिंह खेती कर रहा है।

10. इस प्रकार प्रकरण में वादी की ओर से जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसमें वा.सा. 02 के कथनों से प्रकट होता है कि उसे विवाद की कोई जानकारी नहीं है और इस प्रकार वा.सा. 02 की साक्ष्य के आधार पर कोई भी निष्कर्ष देना समीचीन प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार प्र.सा. 02 एवं प्र.सा. 03 की साक्ष्य से भी ऐसा ही प्रकट हो रहा है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वादी को अपना वाद प्रमाणित करने का भार होता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी वादी को अपनी मौखिक एवं

दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से अपना वाद प्रमाणित करना है। वादी की ओर से जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं उनमें प्रपी 01 लगायत प्रपी 04 के दस्तावेजों से यह प्रकट होता है कि उक्त विवादित भूमि पर वादी का नाम कब्जेदार के रूप में दर्ज नहीं है। वादी की ओर से जो खसरा प्रपी 08 लगायत प्रपी 10 अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं। उनके अवलोकन से भी उक्त दोनों ही विवादित भूमियों पर वादी का नाम कब्जेदार के रूप में दर्शित नहीं हो रहा। वादी ने जो न्यायालय की डिक्री एवं आवेदन पत्र प्रपी 05 एवं प्रपी 06 अभिलेख पर प्रस्तुत किया है उसमें सर्वे क्रमांक 282 पर वादी के पिता कल्याण सिंह की स्वत्व होना तथा सर्वे क्रमांक 287 पर हनुमंत सिंह का स्वत्व होना दर्शित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण के अनुसार उनके द्वारा जो प्रडी 05 लगायत प्रडी 12 के राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं उन पर स्वामी के रूप में प्रतिवादीगण का नाम कब्जेदार के रूप में दर्ज है। यही स्थिति प्रडी 13 लगायत प्रडी 18 के दस्तावेजों से भी दर्शित हो रही है।

11. वादी के अनुसार प्रतिवादीगण ने गलत विक्रय पत्र निष्पादित किया है, किंतु वादीगण ने एक भी विक्रय पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। यहां पर उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा अपने वादपत्र में स्पष्ट रूप से यह अभिविचित नहीं किया गया है कि उक्त सर्वे क्रमांकों पर वादी को स्वत्व कैसे प्राप्त हुआ। वा.सा. 01 ने स्वयं अपनी साक्ष्य में इस बात को स्वीकार किया है कि उनके द्वारा राजीनामा के फैसले के संबंध में नामांतरण की कार्यवाही नहीं की। उक्त साक्षी के अनुसार न्यायालय की डिक्री प्रपी 05 एवं डिक्री से संबंधित आवेदन पत्र प्रपी 06 एवं प्रपी 07 के संबंध में उसने नामांतरण की कार्यवाही नहीं की। उक्त साक्षी के अनुसार उसे उक्त दस्तावेज तीन वर्ष पूर्व प्राप्त हुए। वादी का उपरोक्त कथन न केवल विरोधाभासी है, बल्कि संदेह की स्थिति भी उत्पन्न करते हैं। वादी ने जो डिक्री प्रस्तुत की है वह वर्ष 1974 की है, किंतु इतने वर्षों तक वादी एवं उसके पिता ने नामांतरण की कार्यवाही क्यों नहीं की, इस संबंध में कोई कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद न केवल अस्पष्ट है, बल्कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित नहीं होता कि वादी का उक्त विवादित भूमि में स्वत्व है। यहां पर उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 24.06.10 भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है और इस प्रकार वादीगण, प्रतिवादीगण द्वारा कराए गए बटांकन एवं प्रस्ताव को शून्य घोषित कराए जाने के अधिकारी नहीं हैं और साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

12. उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि वे उक्त विवादित भूमि के स्वत्वाधिकारी हैं। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 07 नकारात्मक निर्णीत किए जाते हैं।

—:: वादप्रश्न क्रं.—08 ::—

13. वादीगण ने प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है, जिस पर वादीगण ने न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत न्यायशुल्क अदा किया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा वाद का सही मूल्यांकन कर उचित न्यायशुल्क अदा करना प्रकट हो रहा है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 8 सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

—:: वादप्रश्न क्रं.-09 ::—

14. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। परिणामतः वादीगण का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया जाता है।

15. वाद का संपूर्ण व्यय वादीगण द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज़फ़र इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चंदेरी, जिला अशोकनगर

(ज़फ़र इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चंदेरी, जिला अशोकनगर